1

[2022] 4 एस. सी. आर 1

क.

दीपाक यादव बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 861) 20 मई, 2022

**[**एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 439-जमानत-रद्द करना-पीड़ित को मारने के समान इरादे से आरोपी ने पीड़ित को गोली मार दी, जिसने बाद में दम तोड़ दिया-मृत्यु से पहले, पीड़ित ने आरोपी और सह-आरोपी का नाम लेते हुए बयान दिया जो डीएसपी और एसआई द्वारा दर्ज किया गया था-आरोपी और सह-आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला यू/एस।302 और 34 आई. पी. सी.-सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत की अस्वीकृति, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा समानता के आधार पर दी गई क्योंकि सह-अभियुक्त को जमानत दी गई थी-स्थिरता-आयोजितःटिकाऊ नहीं-जमानत रद्द करने के मामले में, जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं, जो पहले ही दी जा चुकी थी-जमानत रद्द करना केवल पर्यवेक्षण परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं हो सकता है-यहां तक कि पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अभाव में भी, अदालत के पास जमानत देने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना आरोपी को जमानत दे दी और उचित सबूत जो साबित करते हैं कि आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया था-समानता के आधार पर जमानत देने से पता चलता है कि आदेश मन के गैर-आवेदन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है जो इसे अस्थिर बनाता है-आपराधिक इतिहास, अपराध की प्रकृति, भौतिक साक्ष्य और आरोपी के कब्जे से हथियार की वसूली।

ग

डी.

ई.

च

जी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **439** नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसमें न्यायालय कई पहलुओं पर विचार करता है।जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग सुविचारित ए के आधार पर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

एच.

1



प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत।**[**पैरा **19] [10-**एफ**]**

**1.2** जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए तर्क देने के महत्व को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है।विशेष रूप से जमानत देने या अस्वीकार करने के मामलों में जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है**,** प्रथम दृष्टया कारणों

का संकेत देने की आवश्यकता है।किसी विशेष मामले में ठोस तर्क एक आश्वासन है कि निर्णय निर्माता द्वारा सभी प्रासंगिक आधारों पर विचार करने और बाहरी विचारों की अवहेलना करने के बाद विवेक का प्रयोग किया गया है।**[**पैरा **26] [14-**एफ-जी**]**

**1.3** एक बार जमानत दिए जाने के बाद**,** इस बात पर विचार किए बिना कि क्या किसी पर्यवेक्षी परिस्थितियों ने आरोपी को मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है**,** उसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।यह कहने के बाद कि जमानत रद्द करने के मामले में**,** जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश **(**जो पहले ही दिया जा चुका था**)** के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।**[**पैरा **30] [17-**डी-ई**]**

ग

डी.

**1.4** जमानत रद्द करना पर्यवेक्षण परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं हो सकता है।इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अभाव में भी अभियुक्त की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार हैं।**[**पैरा **31] [18-**ए-बी**]**

ई.

**1.5** तत्काल मामले में**,** प्रतिवादी नं।**2/**अभियुक्त को आई**.** डी**. 1** पर गिरफ्तार किया गया था**,** जिसके बाद उसने सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था**,** जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मृतक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर उसका नाम एफ**.** आई**.** आर**.** में है और दस्तावेजों/प्रपत्रों के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि गोली प्रतिवादी नं**.2/**खुद पर आरोप लगाया।उसी से व्यथित होने के कारण**,** प्रतिवादी नं। **2/**अभियुक्त ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा **439 Cr.P.C** के तहत एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं**.2/**प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना अभियुक्त।**[**पैरा **35] [20-**ए-सी**]**

च

जी.

**1.6** विवादित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रतिवादी ए

एच.



नहीं।**2/**अभियुक्त का नाम आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **302** और **34** के तहत दर्ज प्राथमिकी में लिया गया है और वह मुख्य हमलावर था जिसके हाथ में एक हथियार था**;** कि प्रतिवादी नं**.2/**अभियुक्त यह था कि उसने मृतक पर गोली चलाई जिसके कारण गोली उसके दाहिने गाल पर लगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई**;** कि मृतक ने **14.01.2021** पर अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया**;** कि प्रतिवादी नं।**2/**अभियुक्त का इरादा मृतक की हत्या करने का था क्योंकि उसके और मृतक के बीच कुछ भूमि के संबंध में पूर्व शत्रुता थी जिसे आरोपी ने हड़पने की धमकी दी थी**;** कि प्रतिवादी नहीं।**2/**अभियुक्त को स्पष्ट रूप से अपीलार्थी**/**मुखबिर की माँ और मृतक द्वारा नामित किया गया था और वह गोली चलाने में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी**;** कि प्रतिवादी नं।**2/**अभियुक्त का बयान तत्कालीन आई**.** ओ**.** द्वारा धारा **161 Cr.P.C** के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया था**;** और यह कि प्रतिवादी नं**.2/**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं **[**पैरा **36] [20-**सी-एच**; 21-**ए-बी**]**

ग

डी.

**1.7** जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए आवेदन का आकलन करने के लिए अदालतों के लिए निश्चित रूप से कोई सीधा सूत्र मौजूद नहीं है**,** लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है**,** इसमें कई कारकों का संतुलन शामिल है**,** जिनमें अपराध की प्रकृति**,** सजा की गंभीरता और आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।हालांकि**,** यह उच्च न्यायालय पर समान रूप से बाध्यकारी है कि वह निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण**,** सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।**[**पैरा **37] [21-**डी**-**ई**]**

ई.

च

**1.8** उच्च न्यायालय की ओर से प्रतिवादी नं**. 1** को जमानत देना स्पष्ट रूप से गलत है।**2/**प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों और उचित साक्ष्य को ध्यान में रखे बिना अभियुक्त जो यह साबित करता है कि प्रतिवादी नहीं।**2/** आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है।**[**पैरा **38] [21-**ई**-**एफ**]**

जी.

**1.9** प्रत्यर्थी को जमानत सं**.2/**केवल समानता के आधार पर अभियुक्त से पता चलता है कि द्वारा पारित आक्षेपित आदेश

एच.

4 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

क.

उच्च न्यायालय बुद्धि का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है जिससे यह अस्थिर हो जाता है।उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं**. 1** के आपराधिक इतिहास को ध्यान में नहीं रखा।**2/**अभियुक्त**,** अपराध की प्रकृति**,** उपलब्ध सामग्री साक्ष्य**,** प्रत्यर्थी सं।**2/**उक्त अपराध में अभियुक्त और उसके कब्जे से हथियार की बरामदगी।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है।**[**पारस **39,40] [21-**एफ**-**एच**]**

रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और एक अन्य (2021) 6 एससीसी 230; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पु यादव और एक अन्य (2004) 7 एससीसी 528; बाबू सिंह और अन्य। वी.राज्य

ग

उत्तर प्रदेश का (1978) 1 एस. सी. सी. 579:[1978] 2 एस. सी. आर. 777; दाताराम

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य **(2018) 3**

एससीसी 22:[2018] 1 एस. सी. आर. 882; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली का एन. सी. टी. और दूसरा (2001) 4 एस. सी. सी. 280:[2001]

**2** एससीआर **684;** प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष

डी.

चटर्जी और एक अन्य (2010) 14 एस. सी. सी. 496:[2010]

**12** एस**.** सी**.** आर**. 1165;** एश मोहम्मद बनाम शिवराज सिंह उर्फ

लल्ला बाबू एंड अदर (2012) 9 एस. सी. सी. 446:[2012] 7

एस**.** सी**.** आर**. 584;** रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और

अन्य (2013) 16 एससीसी 797:[2013] 11 एस. सी. आर. 273; नीरु

ई.

यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य **(2014) 16**

एससीसी 508:[2014] 12 एस. सी. आर. 453; विरूपाक्षप्पा गौड़ा

और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य **(2017)**

5 एससीसी 406:[2017] 4 एस. सी. आर. 373; उड़ीसा राज्य बनाम.

महिमानंद मिश्रा (2018) 10 एस. सी. सी. 516; 'वाई' बनाम राज्य

राजस्थान और अन्र. 2022 की आपराधिक अपील संख्या 649;

च

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह **(2002) 3**

एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526; कल्याण चंद्र सरकार

बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और एक अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 528; महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ

पोलिया और दूसरा (2020) 2 एस. सी. सी. 118:[2019] 14 एससीआर

जी.

**529;** दोलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(1995)**

1 एससीसी 349:[1994] 6 पूरक।एस. सी. आर. 69; प्रकाश कदम

और अन्य बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और

एक और (2011) 6 एससीसी 189:[2011] 6 एस. सी. आर. 800-संदर्भित।

एच.

5

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

**(2021) 6** एससीसी **230**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

**(2004) 7** एस**.** सी**.** सी**. 528**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

**[1978] 2** एससीआर **777**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

**[2018] 1** एससीआर **882**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

**[2001] 2** एससीआर **684**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

**[2010] 12** एससीआर **1165**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

ग

**[2012] 7** एससीआर **584**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

**[2013] 11** एससीआर **273**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

**[2014] 12** एससीआर **453**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22,32**

**[2017] 4** एससीआर **373**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

डी.

**(2018) 10** एस**.** सी**.** सी**. 516**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

**[2002] 2** एससीआर **526**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

**(2004) 7** एस**.** सी**.** सी**. 528**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

ई.

**[2019] 14** एससीआर **529**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

**[1994] 6** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 69** पैरा **30 [2011] 6** एस**.** सी**.** आर**. 800** पैरा **34** में संदर्भित है।

च

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 861।

2021 की जमानत संख्या 11848 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के दिनांकित 22.10.2021 के निर्णय और आदेश से।अवनीश सिन्हा, प्रेम रंजन कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुष्कर शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, अब्दुल कादिर, आदित्य वैभव सिंह, सतीश पांडे, आदर्श उपाध्याय, दिव्यांशु सहाय, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.



क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

1. अनुमति प्रदान की गई

2. वर्तमान अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर 2021 की जमानत संख्या 11848 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.10.2021 के खिलाफ निर्देशित है-अभियुक्त ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धाराओं के तहत पीएस पारा, लखनऊ में दर्ज 2021 के मामले अपराध संख्या 16 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ।उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को कुछ शर्तों के अधीन एक व्यक्तिगत मुचलका और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानत देने पर जमानत दे दी।

ग

3. संक्षेप में, इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता/मुखबिर दीपक यादव ने प्रतिवादी संख्या 2/आरोपी हरजीत यादव, सह-आरोपी सुशील कुमार यादव और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत पी. एस. पारा, लखनऊ में अपराध मामला संख्या 09.01.2021 के रूप में एक एफ. आई. आर. दर्ज की।उक्त अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप थे कि आई. डी. 1 की रात को लगभग 8:30 बजे, अपीलार्थी के पिता श्री विरेंद्र यादव (मृतक) जयपुरिया स्कूल के पास स्थित लॉन से अपने घर जा रहे थे और उसी समय, अभियुक्त व्यक्तियों ने कुल्हड़ कट्टा पुल पर पोजीशन ली और मृतक को मारने के समान इरादे से उस पर गोली चला दी।गोली उनके दाहिने गाल पर लगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया और उसे ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में भर्ती कराया।अपीलार्थी/मुखबिर, अपने घायल पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अपनी माँ श्रीमती के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। सुनीता यादव और बड़ी बहन सुश्री ज्योति यादव।अपीलार्थी की माँ ने अपने पति से इस घटना के बारे में पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे प्रतिवादी No.2/Accused हरजीत यादव और एक, सुशील यादव ने गोली मार दी थी और उनके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे।मृतक द्वारा दिए गए बयान को श्री महेश कुमार चौरसिया, डीएसपी/एसीपी चौक, लखनऊ और श्री ने नोट किया। अशोक कुमार सिंह, एस. आई./प्रथम जाँच अधिकारी।

डी.

ई.

च

जी.

4. प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त को पुलिस ने 13.01.2021 पर गिरफ्तार किया था और दो जीवित कार्टेज के साथ एक देशी पिस्तौल ए थी

एच.



उससे बरामद किया।अपीलार्थी/सूचना देनेवाले के पिता की मृत्यु 14.01.2021 पर हो गई जिसके कारण आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत मामले को एक में बदल दिया गया। सह-अभियुक्त सुशील कुमार यादव ने 16.01.2021 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

5. जाँच पूरा होने के बाद और पर्याप्त सबूत मिलने पर, प्रतिवादी No.2/Accused और सह-अभियुक्त सुशील कुमार यादव के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 के तहत निचली अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके अलावा, दो अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच लंबित है।

6. प्रत्यर्थी No.2/Accused ने सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष जमानत आवेदन संख्या 3340/2021 दायर किया और उसे दिनांकित 28.06.2021 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका नाम स्वयं मृतक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर रखा गया है और दस्तावेजों/प्रपत्रों के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि गोली स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी।

ग

7. प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त ने तब जमानत संख्या 11848/2021 के माध्यम से नियमित जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें प्रत्यर्थी के वकील No.2/Accused ने तर्क दिया कि सह-अभियुक्त सुशील कुमार यादव को उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की जमानत संख्या 8501 में 18.10.2021 पर जमानत दी गई है और प्रत्यर्थी संख्या 2 का

मामला समान आधार पर खड़ा है, जिससे वह समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।उक्त जमानत आवेदन को दिनांक 22.10.2021 के विवादित फैसले/आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

"अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पक्षों की ओर से आगे की गई दलीलें, अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में रिकॉर्ड पर साक्ष्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े जनादेश और शीर्ष के कथन को ध्यान में रखते हुए।

च

दाताराम सिंह बनाम के मामले में न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य और ए**.** एन**.** आर**. 1**

और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है।जमानत आवेदन की अनुमति है।

जी.

आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो-दो जमानत देने पर जमानत पर रिहा किया जाए।इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाना चाहिए।

एच.

1 (2018) 3 एससीसी 22



1. आवेदक जाँच या मुक़दमे के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव बनाकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

4. कि आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

ग

5. आवेदक इस आशय का वचन पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा और गवाह अदालत में उपस्थित होंगे।इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, निचली अदालत के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार आदेश पारित करे।6. आवेदक (i) मामला शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि निचली अदालत की राय में, इस शर्त की चूक जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो निचली अदालत के लिए ऐसी चूक को उसकी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

डी.

ई.

च

7. पार्टी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस तरह के आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति दाखिल करेगी।

8. संबंधित अदालत/प्राधिकरण/अधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की ऐसी कम्प्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा और लिखित रूप में इस तरह के सत्यापन की घोषणा करेगा।

जी.

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।"

एच.

9

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अवनीश सिन्हा और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे को सुना है।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अवनीश सिन्हा ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त को जमानत दे दी है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ एक ज्ञात अपराधी है और अभियुक्त की भूमिका पर कोई ध्यान दिए बिना समानता के आधार पर बहुत ही अनौपचारिक तरीके से जमानत दे दी है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी आई. ओ. की उपस्थिति में मृतक द्वारा अपनी पत्नी को दिए गए बयान पर की गई थी। यह आगे बताया गया कि प्रतिवादी No.2/Accused को प्राथमिकी में उस व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है जिसने मृतक पर गोली चलाई थी जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी और इस तरह के जघन्य अपराध के लिए जमानत नहीं दी जा सकती है।10. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/मुखबिर या राज्य को जवाब देने का कोई अवसर दिए बिना सूचीबद्ध होने के पहले ही दिन प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त को जमानत देने में गलती की है और राज्य को जवाबी दायर करने का कोई अवसर या मामले की वर्तमान स्थिति भी नहीं दी गई थी।11. इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई थी

ग

डी.

रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना **(**कोली**)** और अन्य **2,** कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पु यादव और अन्य **3**।

ई.

12. प्रत्यर्थी No.2/Accused की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी No.2/Accused एक युवा छात्र था, जो हिमालयी गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड से D.Pharma का कोर्स कर रहा था, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया मामला तत्काल मामले का एक हिस्सा है और तत्काल मामले में गलत वसूली के आधार पर दर्ज किया गया है।13. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी No.2/Accused को कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है, और न ही मृतक द्वारा अपने बयान में उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल यह कहा गया है कि रतिलाल के छोटे बेटे ने मृतक को गोली मार दी थी।इसके अलावा, सुनवाई के पहले दिन जमानत देना किसी भी स्थापित कानूनी अवधारणा, वैधानिक आवश्यकता या पूर्ववर्ती का उल्लंघन नहीं करता है।

च

जी.

2 (2021) 6 एससीसी 230 3 (2004) 7 एससीसी 528

एच.

10

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

14. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने आरोप की प्रकृति, अपराध और दंड की गंभीरता, साक्ष्य की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है।15. इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई थी

बाबू सिंह और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **4** और दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **5**।

16. हमने बार में की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

17. हमारे विचार के लिए इस अपील में उत्पन्न होने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों में नियमित जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (1) (संक्षेप में "Cr.P.C") के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित था।

ग

18. मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय की जमानत देने की शक्ति की सीमा और संबंधित अभियुक्त को जमानत देने के लिए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं।जैसा कि न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने सही कहा है।

डी.

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने के बोझ का है, जिनमें से सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

ई.

विश्लेषण

ए**.** जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

19. आई. डी. 1 की धारा 439 नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसमें न्यायालय कई पहलुओं पर विचार करता है।जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

च

**20.** प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली का एन**.** सी**.** टी**.** और अन्य **6** में**,** ए

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत देते समय जिन सिद्धांतों पर विचार किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"8. जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए न कि मनमाने तरीके से।

4 (1978) 1 एससीसी 579 5 (2018) 3 एससीसी 22 6 (2001) 4 एससीसी 280 ए

एच.

11

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

जमानत देते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धि के लिए आवश्यक होगी, अभियुक्त के चरित्र, व्यवहार, साधन और स्थिति, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता या राज्य के व्यापक हितों और इसी तरह के अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के उद्देश्यों के लिए विधानमंडल ने "साक्ष्य" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित अदालत केवल इसे संतुष्ट कर सकती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने में सक्षम होगा।इस स्तर पर, अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए सबूत होना अपवाद नहीं है।"

ग

डी.

**21.** जैसा कि प्रशांत में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया है

कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और अन्य **7,** यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं:

ई.

((i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

च

((v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;

((vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

जी.

((vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

(viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

7 (2010) 14 एससीसी 496

एच.

12

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. प्रशांत (सुप्रा) में निर्णय लगातार लिया गया है।

इसके बाद इस न्यायालय ने एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह उर्फ लल्ला बाबू और अन्य **8,** रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य **9,** नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **10,** विरूपाक्षप्पा गौड़ा और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **11,** उड़ीसा राज्य बनाम महिमानंद मिश्रा **12.**

**23.** 'वाई' बनाम राजस्थान राज्य और ए**.** एन**.** आर**.** के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले में। **13** हममें से एक **(**माननीय एन**.** वी**.** रमन्ना**,** सीजेआई**)** द्वारा लिखित**,** यह निम्नानुसार देखा गया हैः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

"22. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश गूढ़ है, और किसी भी तरह के दिमाग के उपयोग का सुझाव नहीं देता है। जमानत देने या देने से इनकार करने के ऐसे आदेश पारित करने की एक हालिया प्रवृत्ति है, जहां अदालतें एक सामान्य टिप्पणी करती हैं कि "तथ्यों और परिस्थितियों" पर विचार किया गया है।ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है जिसके कारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

ग

डी.

23. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें इस न्यायालय ने इस तरह की प्रथा को अस्वीकार कर दिया है।महिपाल (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

**25.** केवल "अभिलेख का अवलोकन करना" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर" दर्ज करना एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को कम नहीं करता है।

यह खुले न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि जिन कारकों ने न्यायाधीश के दिमाग में अस्वीकृति या जमानत देने में वजन डाला है, उन्हें पारित आदेश में दर्ज किया जाता है।खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए। न्यायधीशों का कर्तव्य है कि वे इस प्रतिबद्धता के केंद्र में तर्कपूर्ण निर्णय दें।अनुदान पर उठे सवाल

च

जी.

8 (2012) 9 एस. सी. सी. 446

9 (2013) 16 एस. सी. सी. 797

10 (2014) 16 एस. सी. सी. 508

11 (2017) 5 एस. सी. सी. 406

12 (2018) 10 एस. सी. सी. 516

13 2022 की आपराधिक अपील संख्या 649 ने 19.04.2022 A पर निर्णय लिया

एच.

जमानत का संबंध आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से है कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।न्यायाधीश

वे उस आधार की व्याख्या करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं जिसके आधार पर वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।"

**(**जोर दिया गया**)**

24. जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए, "अपराध की प्रकृति" की बहुत अधिक प्रासंगिकता है।राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह 14 के मामले में इस न्यायालय के फैसले में जमानत की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विचार को स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचार माना जा सकता है, इस मोड़ पर भी देखे जा सकते हैं, हालांकि, वे केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है।विचार इस प्रकार हैंः

डी.

(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति शामिल है।

ई.

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत के साथ विचार करना चाहिए।

(ग) यद्यपि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय को हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए।

च

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।"

जी.

14 (2002) 3 एस. सी. सी. 598

एच.

25. इसी तरह कल्याण चंद्र सरकार में अदालतों द्वारा जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों का वर्णन किया गया है।

बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्य **15** निम्नानुसारः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है।जमानत देने वाले न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि निश्चित रूप से।यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है।इस तरह के कारणों से रहित कोई भी आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित होगा।जमानत देने वाली अदालत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करे; वे हैंः

ग

डी.

(क) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति।(ख) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका।

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।"

ई.

**B.** सत्र न्यायालय के उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के कारणों को दर्ज करना

26. जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए तर्क देने के महत्व को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है।विशेष रूप से जमानत देने या अस्वीकार करने के मामलों में जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है, प्रथम दृष्टया कारणों का संकेत देने की आवश्यकता है।किसी विशेष मामले में ठोस तर्क एक आश्वासन है कि निर्णय निर्माता द्वारा सभी प्रासंगिक आधारों पर विचार करने और बाहरी विचारों की अवहेलना करने के बाद विवेक का प्रयोग किया गया है।

च

जी.

**27.** रमेश भवन राठौड़ **(**सुप्रा**)** में इस न्यायालय की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को जो विवेकाधिकार सौंपा गया है**,** वह है **-**

15 (2004) 7 एससीसी 528 ए

एच.

15

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया।निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“35. हम वर्तमान मामले में आदेशों के क्रम में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं जिसमें दर्ज किया गया है कि पक्षों के वकील "आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं।"जमानत देना एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की

स्वतंत्रता, राज्य के हित और आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन में अपराध के पीड़ितों को निहित करता है।यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने में कि क्या जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय, या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय Cr.P.C की धारा 439 के तहत एक आवेदन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर शुरू नहीं करेगा क्योंकि एक आपराधिक मुकदमा अभी भी होना बाकी है।जमानत पर निर्णय लेते समय ये टिप्पणियां मुकदमे के परिणाम पर भी बाध्यकारी नहीं होंगी।लेकिन अदालत ने

ग

जमानत देना न्यायिक दिमाग को लागू करने और जमानत देने या न देने का निर्णय लेने के उद्देश्य से कारणों को, चाहे वे संक्षिप्त हों, दर्ज करने के अपने कर्तव्य को बाधित नहीं कर सकता है।पक्षों की सहमति

डी.

उच्च न्यायालय के कर्तव्य को यह बताने से रोक नहीं सकता कि उसने जमानत क्यों दी या अस्वीकार कर दिया।यही कारण है कि आवेदन के परिणाम का एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में सार्वजनिक हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर हैं।ये दो अलग-अलग पक्षों के निजी अधिकारों से जुड़े मामले नहीं हैं, जैसा कि दीवानी कार्यवाही में होता है।आपराधिक कानून का उचित प्रवर्तन जनहित का विषय है।इसलिए, हमें उस तरीके को अस्वीकार करना चाहिए जिसमें मामलों के वर्तमान बैच में आदेशों के एक क्रम ने दर्ज किया है कि "संबंधित पक्षों के वकील आगे के तर्कपूर्ण आदेश के लिए दबाव नहीं डालते हैं"।यदि यह पर्याप्त कारणों को दर्ज नहीं करने के लिए एक सौम्योक्ति है, तो इस तरह का सूत्र आदेश को न्यायिक जांच से नहीं बचा सकता है।

ई.

च

जी.

36. Cr.P.C की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक का प्रयोग करने वाला मामला है।न्यायिक विवेकाधिकार

जमानत देने या अस्वीकार करने में-जैसा कि किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले में है जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में अदालत में निहित है-असंरचित नहीं है।कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य महत्वपूर्ण है

एच.



सुरक्षा जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय को सौंपे गए विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए।न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करती है।"

28. इसी तरह, राम गोविंद उपाध्याय (सुप्रा) में यह न्यायालय,

यह देखा गया किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से।जमानत रद्द करने का आदेश

किसी भी ठोस कारण को कायम नहीं रखा जा सकता है।रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है,

हालाँकि, यह कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं।जबकि समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है, अधिक जघन्य अपराध है, जमानत की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होती है, हालांकि, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।"

डी.

ई.

**29.** महिपाल बनाम राजेश मामले में इस न्यायालय की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ।

कुमार एलियास पोलिया और अन्य **16** ने कहाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“14. अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने का प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छूता है।यही कारण है कि यह न्यायालय आम तौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।तथापि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाले ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है।न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, प्रथम दृष्टया यह विचार रखने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालने या न्याय के मार्ग से बचने की संभावना।द.

च

जी.

16 (2020) 2 एससीसी 118 ए

एच.

17

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

जमानत पर रिहा होने का प्रावधान न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित और मामले के निर्णय तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाता है।हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमाओं के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है।यही कारण है कि एक अदालत को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले के आधार पर जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं।इस निर्धारण में अंतर्निहित यह है कि क्या, अभिलेख के विश्लेषण पर, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था।इस स्तर पर न्यायालय के लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि वह निर्णायक निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच करे।"

ग

ग**.** जमानत रद्द करना

30. इस न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या किसी पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने अभियुक्त को मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है, उसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना

चाहिए।यह कहने के बाद कि जमानत रद्द करने के मामले में, जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश (जो पहले ही दिया जा चुका था) के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।दोलत में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

डी.

ई.

राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **17** ने इसके लिए आधार निर्धारित किए

जमानत रद्द करना जो इस प्रकार हैः- ((i) न्याय प्रशासन के नियत पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास।

च

((ii) न्याय के उचित मार्ग से बचने या बचने का प्रयास (iii) अभियुक्त को दी गई रियायत का किसी भी तरह से दुरुपयोग।

((iv) अभियुक्त के फरार होने की संभावना (v) जमानत के वास्तविक दुरुपयोग की संभावना।

जी.

(vi) अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकी देने की संभावना।

17 (1995) 1 एससीसी 349

एच.

18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत का रद्द होना केवल पर्यवेक्षण परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं हो सकता है।इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से पर्यवेक्षी परिस्थितियों के अभाव में भी अभियुक्त की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियां और विवेकाधिकार हैं।निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

क) जहां जमानत देने वाला न्यायालय अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करते हुए सारवान प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखता है और तुच्छ प्रकृति की नहीं।

ख) जहां जमानत देने वाली अदालत दुर्व्यवहार की शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति की अनदेखी करती है, विशेष रूप से जब पीड़ित पर पद और शक्ति का प्रथम दृष्टया दुरुपयोग होता है।

ग

ग) जहां जमानत देते समय अभियुक्त के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

घ) जहाँ असमर्थनीय आधार पर जमानत दी गई हो।

डी.

ङ) जहां जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

च) जहां अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत का अनुदान उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य ठहराता है और इस प्रकार इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ई.

छ) जब जमानत देने का आदेश स्पष्ट रूप से दिए गए मामले के तथ्यों में सनकी, मनमौजी और विकृत है।

32. नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 18 में,

अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन सिद्धांतों पर पूर्वजों की जांच की जो जमानत देने का मार्गदर्शन करते हैं और निम्नानुसार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"12...यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत देने के बाद इसे रद्द करना क्योंकि आरोपी ने खुद के साथ गलत व्यवहार किया है या कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियों में इस तरह के रद्द होने की आवश्यकता है, जमानत देने के आदेश से पूरी तरह से अलग है जो अन्यायपूर्ण है।

जी.

अवैध और विकृत।यदि किसी मामले में, प्रासंगिक कारक जो

18 (2014) 16 एससीसी 508 ए

एच.

19

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय विचार किया जाना चाहिए था और जमानत पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था या यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है।ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग दायरे में है।द्वितीय प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है।इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है।

33. महिपाल (सुप्रा) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"17. जहाँ जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, वहाँ एक अपीलीय अदालत जमानत देने के आदेश को न्यायोचित रूप से रद्द कर सकती है।इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जमानत देने का आदेश दिमाग का उपयोग न करने से ग्रस्त है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं है।अतः इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या साक्ष्य अभिलेख के आधार पर यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखते हुए।"

डी.

ई.

**34.** प्रकाश कदम और मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

अन्य बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य **19** ने कहा किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"18. जमानत रद्द करने पर विचार करते हुए, अदालत को अपराध की गंभीरता और प्रकृति, आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले, आरोपी की स्थिति और स्थिति आदि पर भी विचार करना होगा, यदि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो।

च

19. हमारी राय में, ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक बार अभियुक्त को जमानत दिए जाने के बाद उसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब जमानत के दुरुपयोग की संभावना हो।यह कारक, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं है।जमानत रद्द करने का निर्णय लेते समय कई अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं।"

जी.

एच.

19 (2011) 6 एस. सी. सी 189

20

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

35. वर्तमान मामले पर आते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त को 13.01.2021 पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद, उसने सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसका नाम स्वयं मृतक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी में है और दस्तावेजों/प्रपत्रों के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि गोली स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी।उसी से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 439 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया।उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश के माध्यम से प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना प्रतिवादी को जमानत दे दी।

ग

36. विवादित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित पर विचार करने में विफल रहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

प्रतिवादी No.2/Accused का नाम आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 के तहत दर्ज अपराध मामला संख्या 16/2021 वाली एफ. आई. आर. में दर्ज किया गया है और वह मुख्य हमलावर था जिसके हाथ में हथियार था।

डी.

प्रतिवादी No.2/Accused की मुख्य भूमिका यह थी कि उसने मृतक पर गोली चला दी जिसके कारण गोली उसके दाहिने गाल पर लगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई।मृतक ने 14.01.2021 पर अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, प्रतिवादी का इरादा मृतक की हत्या करने का था क्योंकि उसके और मृतक के बीच किसी भूमि के संबंध में पिछली दुश्मनी थी जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ने हड़पने की धमकी दी थी।

ई.

च

अपीलार्थी/मुखबिर की माँ द्वारा घटना के बारे में पूछे जाने पर मृतक ने जवाब दिया, "रतीपाल का दुसरा।

नंबर का लडका और राम आसरे का पुत्र सुशील यादव ने पुल पर गाड़ी रुकवाकर गोली मार दी है या अनके

साथ 2 लडके और द "।पुनः स्पष्ट करने पर, मृतक

जवाब दिया, "रतीपाल का दूसरा नंबर का लडका मतलब हरजीत यादव।"

जी.

प्रतिवादी No.2/accused को स्पष्ट रूप से मृतक द्वारा नामित किया गया है और वह गोली चलाने में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी।

एच.

21

दीपाक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

क.

प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त का बयान तत्कालीन आई. ओ. द्वारा धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया था।

प्रतिवादी नंबर 2 का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैंः

(1) केस क्राइम नं. 016/2021 u/s 302/34 आईपीसी

(2) केस क्राइम नं. 020/2021 शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत (3) 05.11.2021 पर 110G की कार्यवाही

(4) बीट सूचना (जी. डी. संख्या 33) दिनांक 18.12.2021 (5) बीट सूचना (जी. डी. संख्या 44) दिनांक 19.12.2021

ग

37. जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए आवेदन का आकलन करने के लिए अदालतों के लिए निश्चित रूप से कोई सीधा सूत्र मौजूद नहीं है, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए कि कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसमें कई कारकों का संतुलन शामिल है, जिनमें अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।

डी.

ई.

38. हालाँकि, यह कहते हुए कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय की ओर से यह स्पष्ट रूप से गलत है कि उसने प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों और उचित साक्ष्य को ध्यान में रखे बिना प्रतिवादी को जमानत दे दी है जो साबित करता है कि प्रतिवादी पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है।39. केवल समानता के आधार पर प्रत्यर्थी को जमानत देने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश मन का उपयोग न करने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है जिससे यह अस्थिर हो जाता है।उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के आपराधिक इतिहास, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध सामग्री साक्ष्य, उक्त अपराध में प्रतिवादी की संलिप्तता और उसके कब्जे से हथियार की बरामदगी को ध्यान में नहीं रखा है।

च

जी.

40. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के साथ वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के लिए उत्तरदायी नहीं है

एच.



बनाए रखा जाता है और इसके द्वारा अलग रखा जाता है।प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त के जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें इस आदेश के पारित होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित पुलिस अधिकारी उन्हें हिरासत में ले लेंगे।

41. हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियाँ जमानत रद्द करने के मुद्दे पर हमारे विचार तक सीमित हैं, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया है।वे विचारण न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्णय के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे।पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह कहा जाता है कि विचारण न्यायालय को अपने समक्ष लंबित मामले पर, की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, अभिलेख पर लाए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर सख्ती से विचार करना है।यह आदेश प्रतिवादी संख्या 2/अभियुक्त को बाद के चरण में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने से भी नहीं रोकेगा, यदि कोई नई परिस्थितियाँ सामने आती हैं।

ग

42. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.